न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 56/2020(2020/00280)

उनवान : –

1. प्रमोद पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
2. सुनील पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
2. शीला पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी सिकरोडी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ वादी
श्री वीरेन्द्र जाखड़ प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 05/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा न0 15 के किला न0 3, 8, 11 ता 13, 18 ता 24, मु0 न0 16 के किला न0 16, 24, 25, मु0 न0 17 के किला न0 5, मु0 न0 18 के किला न0 1 ता 4 इस प्रकार कुल किता 20 की कुल 3.894 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या जयसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है, हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वाद भूमि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद है। वाद भूमि पुराने पैत्रक कृषि भूमि बेचान कर संयुक्त परिवार के लिये खरीद की गई थी एवं वाद भूमि प्रतिवादी जयसिंह के नाम महज कर्ता खाना होने के चलते दर्ज करवा दी गई थी। वाद भूमि के बाबत पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था। जिसमें वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:09:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अनुसार प्राप्त हो गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शून्य कर लिया था। इसी अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही है, परन्तु रिकॉर्ड माल में प्रतिवादी जयसिंह के नाम दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वाद भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी जयसिंह खातेदार काश्तकार है। घोषणा की जावें। बाद किये जाने घोषणा जमाबन्दी हॉल को दुरूस्त किया जावें। आदि आदि तथ्यों का अर्जीदावा पेश किया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी प्रमोद पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 2 केआरपी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 39/36 प्रदर्श 1, खतौनी जमाबन्दी चक 2 केआरपी सम्वत 2016 खाता संख्या 21 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत करणपुरा द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 2 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा न0 15 के किला न0 3, 8, 11 ता 13, 18 ता 24, मु0 न0 16 के [illegible] 16, 24, 25, मु0 न0 17 के किला न0 5, मु0 न0 18 के [illegible] कुल किता 20 की कुल 3.894 हैक्टेयर नहरी मय [illegible] जयसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृ[illegible]मि होना साबित नही है, ना ही वाद पत्र में वर्णित तथ्य पुराने पैत्रृक कृषि भूमि बेचान कर प्रतिवादी जयसिंह के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण नाम करवा दी, ऐसा कोई दस्तावेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:09:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पत्रावली में पेश कर प्रदर्शित नही करवाया है। जमाबन्दी सम्वत 2016 का मुलायजा किया तो वाद भूमि प्रतिवादी जयसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार से दावा में वर्णित तथ्यों को वादी साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। वादी ने ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नही किये है जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि दादालाई पैत्रृक कृषि भूमि हो। उक्त कृषि भूमि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति शासित से दादालाई साबित नही हो रही है। इस प्रकार वाद वादी साबित नही होने के कारण अर्जीदावा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

अतः वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:09:54 IST
Reason: SelfAttested